



नगर निगम, सोनीपत

DJAY-S

सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन

As per Section of the Street Vendors (Possession of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2024

सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नम्बर : MSC/2026/

नाम	:	
पिता / पत्नी का नाम	:	
जन्म तिथि	:	
सेक्स (पुरुष / महिला)	:	
फैमिली आई.डी.नं.	:	
मोबाईल नं.	:	
आधार नं.	:	
पता	:	
	:	
	:	
रेहड़ी खड़ी करने का स्थान	:	
खड़ी करने के दिन	:	
	:	सोमवार () मंगलवार () बुधवार () वीरवार () शुक्रवार ()
	:	शनिवार () रविवार () सभी दिन ()
खड़ी करने का समय	:	सुबह / शाम से सुबह / शाम तक
कैटेगरी ऑफ वेंडिंग / प्रोडक्स	:	मोबाईल / स्टेशनरी / अन्य
पारिवारिक विवरण	:	

1. नाम : आयु : सम्बन्ध :
2. नाम : आयु : सम्बन्ध :
3. नाम : आयु : सम्बन्ध :
4. नाम : आयु : सम्बन्ध :

जारी करने की तारीख

हस्ताक्षर

जारी कर्ता के हस्ताक्षर

नगर निगम, सोनीमत में वैंडिंग के नियम एवं शर्तें

- प्रमाणपत्र (CoR) की वैधता _____ से _____ तक
- प्रमाण पत्र अनुसूच के आधार पर जारी किया जाता है तथा इसे मागे जाने पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि जिस स्ट्रीट वेंडर को प्रमाण पत्र आवंटित किया गया है वह किसी स्थायी विकलांगता, लंबी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह प्रमाण पत्र लिखित/लिखित प्राथमिकता क्रम में परिवार के किसी एक सदस्य के लिए मान्य होगा
- रेहड़ी घटरी विक्रेता का जीवनसाथी।
- रेहड़ी घटरी विक्रेता कर आश्रित बच्चा, राज्य योजनाओं में निर्दिष्ट आयु।
- बिन्दु (3) में उल्लिखित उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त, यह (CoR) अदस्तावेज़ीय है तथा (CoR) में निर्दिष्ट स्थान किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया जा सकता।
- आवंटित स्थान और (CoR) अस्थायी प्रकृति के हैं, इनके पास स्थायी अधिकार नहीं हैं।
- रेहड़ी घटरी विक्रेता आवंटित स्थान पर कोई स्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा।
- रेहड़ी घटरी विक्रेता को पैदल यात्रियों और यातायात की मुक्त आवाजाही में बाधा नहीं बनेगा।
- रेहड़ी घटरी विक्रेता को आवंटित स्थान का रखरखाव करना होगा तथा अपने कचरे का निपटान उचित कूड़ेदानों में करना होगा।
- रेहड़ी घटरी विक्रेता (CoR) में उल्लिखित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर विक्रय नहीं करेगा।
- रेहड़ी घटरी विक्रेता किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
- रेहड़ी घटरी विक्रेता को आवंटित स्थान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को राज्य योजना यूएलवी उपनियमों में निर्दिष्ट दर से शून्य _____ की दर से किराया शुल्क का भुगतान करना होगा (वैंडिंग जोन में स्थल के आवंटन के बाद)।
- रेहड़ी घटरी विक्रेता को (CoR) में उल्लिखित समय के दौरान अपनी विक्री करनी होगी।
- शहरी स्थानीय निकाय जनता के व्यापक हित में असाधारण परिस्थितियों में स्ट्रीट विक्रेता (ओं) को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- जारीकर्ता प्राधिकारी, सड़क विक्रेता की विक्री की श्रेणी और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जनता के हित में कोई अन्य शर्त लगा सकता है।
- विक्रेता को राज्य योजना में निर्दिष्ट अनुसार समय-समय पर जारीकर्ता प्राधिकारी को 500/- रुपये (स्टेशनरी)/200/- रुपये (मोबाइल) का शुल्क जमा करने (CoR) का वार्षिक (हर साल) नवीनीकरण करना होगा।
- प्रमाण पत्र के खो जाने की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन और जारीको प्राधिकारी को देनी होगी।
- जो वैंडिंग जोन में तथा बिना (CoR) के वैंडिंग की अनुमति नहीं होगी।
- यदि वह स्ट्रीट वेंडर, जिसे (CoR) जारी किया गया है, स्ट्रीट वैंडिंग को विनियमित करने के उद्देश्य से राज्य यूटी/एमसी, सोनीमत के नियमों या योजनाओं में निर्दिष्ट किसी भी शर्त या किसी अन्य नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है, तो जारी करने वाला प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के बाद, (CoR) को रद्द कर सकता है या राज्य की योजना में निर्दिष्ट तरीके से और ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।
- आवश्यक दस्तावेज़ 1 आधार कार्ड 2 परिवार पहचान पत्र 3 पासपोर्ट साइज फोटो 4 रेहड़ी/कड़ी के साथ एक फोटो 5 बैंक खाते की कॉपी